कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज

सेवा मे,

समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र
कन्नौज।

पत्रांकः मु0चि0अ0 / एनटीसीपी / 2021–22 / 353 दिनांक–18.05.2021

विषयः– ***कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक–20.04.2021 एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन मे सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।***

महोदय,

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र स0–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8885 दिनांक–30.04.2021 के कम में अवगत कराना है। कि धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते है तथा थूकनें को प्रेरित करते है जिससे कोविड–19 संक्रमण के फैलने का खतरा बढता है। कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक–20.04.2021 एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन मे सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबन्ध लगाये जाना है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है। कि अपने चिकित्सालयों में धूम्रपान व पान–मसाला,खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर सुसंगत नियमों / उपनियमों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। एवं कृत कर्यवाही की सूचना कार्यालय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज

संख्या एवं दिनांक– उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कन्नौज।
3. नोडल अधिकारी एनटीसीपी, कन्नौज।
4. अधिषाषी निदेषक उत्तर प्रदेश वोलेन्टी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज

कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज

सेवा मे,

समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र
कन्नौज।

पत्रांकः मु0चि0अ0 / एनटीसीपी / 2021–22 / 	दिनांक–18.05.2021

विषयः–***कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक–20.04.2021 एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन मे सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।***

महोदय,

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र स0–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8885 दिनांक–30.04.2021 के कम में अवगत कराना है। कि धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते है तथा थूकनें को प्रेरित करते है जिससे कोविड–19 संक्रमण के फैलने का खतरा बढता है। कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक–20.04.2021 एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन मे सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबन्ध लगाये जाना है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है। कि अपने चिकित्सालयों में धूम्रपान व पान–मसाला,खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर सुसंगत नियमों / उपनियमों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। एवं कृत कर्यवाही की सूचना कार्यालय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज

संख्या एवं दिनांक– उक्त। 353-4

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कन्नौज।
3. नोडल अधिकारी एनटीसीपी, कन्नौज।
4. अधिषाषी निदेषक उत्तर प्रदेश वोलेन्टी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कन्नौज